जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 10-04-2021

आज दिनांक 10.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 200 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 05 अभियुक्तगण नाम पता 1- जवाहिर बेलदार पुत्र रन्नू 2- शुभकरन बेलदार पुत्र रामप्रकाश 3- विशाल बेलदार पुत्र रामजनक 4- राजकुमार पुत्र नगदु निवासीगण घोरांग थाना धनघाट 5- पंचम बेलदार पुत्र मिठाई लाल निवासी मुंडेरा शुक्ल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर प्रत्येक के कब्जे से 40-40-40-40-40 (कुल 200) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 184 /2021, 185/2021, 186 / 2021, 187 / 2021 व 188 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 236/2020 धारा 363 / 366 भा0द0वि0 व 16 / 17 पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता अनिल पुत्र सोमई निवासी हथियाडाड़ थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 28 / 29.09.2020 की रात्रि को वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा दिनांक थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 10.04.2021 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया व अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजाराम यादव मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता शैलाब पुत्र हंसू निवासी कोल्हुआलकड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1497 द्वारा विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1497 को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत परसा शुक्ल के पास से इवेन्ट संख्या 05926 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों मे मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराकर दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धर्मसिंहवा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 गोपाल ठाकुर, आ0 वीरेन्द्र प्रसाद, हो0चा0 श्रीनिवास साहनी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 93 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।